लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2013 को सांय 3.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हाल में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहें :–

1.	**डा0 एस0 बी0 निमसे**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री वी0 के0 मित्तल	आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त) कार्य–परिषद द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3.	श्री विद्यासागर शुक्ल	विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य
4.	डा0 रामानन्द	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य
5.	कै0 अमिताभ प्रकाश	कुलसचिव	सदस्य
6.	प्रो0 अकील अहमद	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	प्रो0 ए0 चटर्जी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 07 जून, 2013 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से पुष्टि की तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत अनानुमोदित कर्मचारियों का विनियमितीकरण नियमावली वर्ष 1998 एवं 2001 के वर्णित प्राविधानानुसार तथा शासनादेश संख्या–वे.आ. –2–2063/दस–54(एम)/2008 टी.सी. दिनांक 08.09.2010 के प्राविधान के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व के नियुक्त अनानुमोदित कर्मचारियों का विनियमितीकरण विश्वविद्यालय के रिक्त पदों के सापेक्ष किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2063/दस–54(एम)/2008टी0सी0 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2010 की व्यवस्था के अनुसार यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद शासन से सृजित कराकर विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाए तथा इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2012 एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2011 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध से छूट प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।

बिन्दु संख्या–03

विश्वविद्यालय में नियत वेतन एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत अनानुमोदित कर्मचारियों को शासनादेशानुसार वेतनवृद्धि एवं उच्चतम वेतन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में हुए विचार–विमर्श के दौरान नियत वेतन पर कार्यरत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्हें क्रमशः रु0 7800/– एवं रु0 6000/– नियत वेतन दिया जा रहा है। 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी, साथ ही दैनिक वेतन पर कार्यरत अनानुमोदित कर्मचारियों को शासनादेशानुसार रु0 120/– से रु0 191/– एवं 140/– से रु0 210/– करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2006 में लिये गये निर्णय एवं मा0 कुलपति जी द्वारा आदेश संख्या–वी0सी0 59/2006 के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2006 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा करने वाले नियत/दैनिक/संविदा कर्मचारियों वेतनमान का उच्चतम बिन्दु प्रदान किया जाना। इस सम्बन्ध में तत्कालीन कुलसचिव द्वारा जारी 28 कर्मचारियों की सूची जो दिनांक 31 मार्च, 2006 को एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव अगली वित्त समिति में रखा जाये।

बिन्दु संख्या–04

डा0 अमरजीत यादव प्रवक्ता (कोर फैकल्टी) मानव चेतना एवं यौगिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के वेतन को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति ने विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि विभाग में कार्यरत अन्य शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर अगली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–05

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम एवं प्रबन्धन विज्ञान संथान से रु0 3–3 करोड़ की धनराशि सामान्य निधि में खाता संख्या–सी.सी. 901 में हस्तांतरित की गयी। उक्त हस्तांतरण की सूचना से समिति को अवगत कराया गया।

बिन्दु संख्या–06

लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलानुशासक तथा वित्त अधिकारी हेतु क्रमशः एक बोलेरो तथा एक एम्बेस्डर कार हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के पुनरीक्षित अनुमान के अन्तर्गत सामान्य निधि के आय–व्ययक में रु0 16,25,000/– की धनराशि का अतिरिक्त प्राविधान वाहन क्रय किये जाने तथा क्रय किये गये वाहनों पर व्यय की गयी धनराशि पर कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त विशेष सचिव, (वित्त) श्री विद्यासागर शुक्ल ने कहा कि नई गाड़ियों के क्रय पर रोक लगी हुई है। पुरानी गाड़ी को निष्प्रयोज्य घोषित कराकर नीलाम कराया जाए तथा प्राप्त आय को विश्वविद्यालय कोष में जमा कराकर उसी मेक की गाड़ी क्रय की जा सकती है। ~~समिति द्वारा क्रय किये गये वाहनों हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।~~

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की सहमति से

बिन्दु संख्या–1

विश्वविद्यालय के विभिन्न खातों के वित्तीय वर्ष 2010–11 के आर्थिक चिट्ठे तथा बैंक समाधान विवरण तैयार करने हेतु सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट) मेसर्स मनीष गोविल एण्ड एशोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत बीजक रु0 15,07,870/– मात्र के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति के द्वारा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि वे इसे निगोसिएट कर अपने स्तर से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करा सकते हैं।

बिन्दु संख्या–2

परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत परीक्षा मद (मुद्रण एवं प्रकाशन पर व्यय/गोपनीय व्यय मद) में स्वीकृत बजटीय प्राविधान रु0 1.50 करोड़ को बढ़ाकर बजटीय प्राविधान रु0 2.00 करोड़ करने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त समिति ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–3

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत प्रयोगशाला मद में प्राविधानित धनराशि रु0 50.00 लाख मात्र के अन्तर्गत प्रो0 पद्मकांत, प्रभारी गैस एवं डिस्टिल वाटर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा रु0 3.00 लाख में आपूर्ति व्यवस्था की जा रही है, को बढ़ाकर रु0 5,00,000/– किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–4

विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों से प्राप्त प्रयोगात्मक शुल्क से प्राप्त आय के सापेक्ष व्यय हेतु अधिष्ठाता विधि संकाय प्रो0 ओम नारायण मिश्र द्वारा प्रेषित आय–व्ययक अनुमान पर विचार–विमर्श किया गया तथा अधिष्ठाता विधि संकाय द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

EXPENDITURE

1.	Printing of Diary, Stationery & Equipments	Rs. 25,000/-
2.	Honoraria of 20 Advocates in L.L.B. VI semester @ Rs. 10,000/- each.	Rs. 2,00,000/-
3.	Remuneration/Conveyance of 06 Class III @ Rs. 1200/- each and 05 Clas IV @ Rs. 800/- each faculty employee as per university rules only.	Rs. 11,200/-
4.	Remuneration of examiners etc. engaged in Practical Training examination as per university rules only.	Rs. 20,000/-
5.	Expenses of Tea etc. during Practical Training exam.	Rs. 10,000/-
6.	Expenditure for organizing Moot Court, Publishing Lucknow Law Journals & Purchase of Books.	Rs. 1,00,000/-
	Total Expenditure	**Rs. 3,66,200/-**

बिन्दु संख्या–5

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् पी0एच0डी0 छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष लिये जाने वाले परीक्षा मद में शुल्क रु0 2,000/– को प्रथम वर्ष के पश्चात् समाप्त कर दिया जाए एवं शुल्क अध्यादेश में यह अंकित कर दिया जाए कि "The examination fee for course work of Ph.D/D.Lit students shall be charged @ Rs. 2,000/- once only at the time of admission in University." द्वितीय वर्ष से छात्र/छात्राओं से Infrastructure facility fee के रूप में रु0 2,000/– प्रतिवर्ष लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया और इस संशोधन को अध्यादेश में दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–6

वित्तीय वर्ष 1994–95 से वर्ष 2000–2001 तक बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु0 1,54,87,200/– मात्र के भुगतान का सामान्य निधि से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 कुलपति महोदय ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि अब तक यह पैसा क्यों नहीं दिया गया, इसे समय से दिया जाना चाहिए था? अतः इसे समय से जमा किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–7

मेसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लि0 को किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में मा0 न्यायमूर्ति के.एस. राखड़ा (सेवानिवृत्त) आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है, जिसमें मा0 राखड़ा जी ने प्रति सिटिंग रु0 7500/– की दर से 10 सिटिंग हेतु रु0 75000/– तथा 10 प्रतिशत के हिसाब से क्लरिकल चार्ज का रु0 7500/– का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–8

वित्तीय वर्ष 2013–14 में वर्दी मद में रु0 25.00 लाख का बजटीय प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष दो वर्ष की वर्दी (वर्ष 2010 एवं वर्ष 2012) की वर्दी हेतु रु0 50.00 लाख तक का भुगतान प्रस्तावित है, सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया।

बिन्दु संख्या–9

विभिन्न पाठ्यक्रमों में लागू होने वाले शुल्क अध्यादेश के अन्तर्गत काशनमनी के रिफण्ड हेतु पूर्व निर्धारित समय–सीमा एक माह को बढ़ाकर तीन माह किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–10

प्रवेश शुल्क की वापसी की माँग समय सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर एक माह किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त समिति ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया, साथ ही इसे शुल्क अध्यादेश में अंकित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या–11

शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर रु0 25000/– प्रतिमाह पर 11 शिक्षकों के पदों के सृजन हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–12

राजनीति शास्त्र विभाग के अन्तर्गत सी0बी0 गुप्ता पीठ में कार्यरत परिचर मो0 कलीम को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2010 के क्रम में छठे वेतनमान के अन्तर्गत ग्रेड–पे रु0 1800/– मात्र के अनुसार भुगतान किये जाने हेतु विचार–विमर्श किया गया, जिसपर मा0 अध्यक्ष महोदय ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि अब तक यह मामला क्यों पड़ा हुआ है? इस प्रकरण को विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव अगले वित्त समिति में रखने पर अनुमोदन दिया गया।

बिन्दु संख्या–13

कम्प्यूटर सांइस विभाग में संविदा के आधार पर 06 असि0 प्रोफेसर नियुक्त किया जाना एवं परफार्मेन्स के आधार पर आगे सेवा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया, जिस पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया ओर शासनादेशानुसार कार्यवाही किये जाने पर निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–14

कला एवं शिल्प महाविद्यालय के स्ववित्त पोषित बजट के विकास मद में उपलब्ध धनराशि से महाविद्यालय की कक्षाओं के फर्नीचर शो–केस की पेंन्टिग एवं मरम्मत हेतु रु0 3,23,125/– की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–15

विश्वविद्यालय के वार्षिक मरम्मत मद में रु0 3.00 करोड़ की धनराशि प्राविधान किया गया है। उक्त बजटीय प्राविधान से लगभग रु0 1.50 करोड़ रु0 निर्माण विभाग के अधिष्ठान मद पर व्यय हो जाते हैं, जिससे वार्षिक अनुरक्षण मद में कुल रु0 1.50 करोड़ ही शेष रह जाते हैं। नैक मूल्यांकन के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराये जाने के दृष्टिगत उक्त बजटीय प्राविधान को बढ़ाये जाने पर

विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मत से वार्षिक मरम्मत मद के बजट को संशोधित करते हुए रु0 3.00 करोड़ से बढ़ाकर रु0 4.00 करोड़ किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–16

निम्नलिखित एण्डाउमेण्ट निधि से दिये जाने वाले प्राइज़ मनी की धनराशि को बढ़ाकर रु0 1000/– किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त निम्नानुसार धनराशि दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

क्रम संख्या	मेडल का नाम	पूर्व धनराशि	प्रस्तावित धनराशि
1.	बनर्जी रिसर्च प्राइज़	200.00	1000.00
2.	डा0 वी0एस0 राम पार्लियामेण्ट प्राइज़	35.00	1000.00
3.	गॉल मेमोरियल प्राइज़	108.50	1000.00
4.	इन्स्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टेण्ट आफ इण्डिया बुक प्राइज़	187.50	1000.00

(कै0 अमिताभ प्रकाश)
कुलसचिव

(डा0 रमानन्द प्रसाद)
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0 प्र0 शासन

(विद्यासागर शुक्ल)
विशेष सचिव (वित्त),
उ0 प्र0 शासन

(प्रो0 अकील अहमद)
परीक्षा नियंत्रक

(प्रो0 ए. चटर्जी)
वित्त अधिकारी

(वी0के0 मित्तल)
आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त)

(डा0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति